:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः— 153/17

दायर दिनांकः—08.11.2017
निर्णय दिनांकः—25.03.2022

1. श्री सुखलाल पिता कुरीया जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी कुंआ तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.

बनाम

1. श्रीमति लीलादेवी पत्नि हीरालाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी शिशोद हाल निवासी कुंआ तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
2. श्रीमान लैण्ड होल्डर जरीये तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधिनियम

::अन्तिम निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कुंआ के जमाबन्दी संवत् 2073—2076 के खाता संख्या 341 कुल खसरा किता 1 खसरा संख्या 865 का कुल रकबा 2.17 बीघा भूमि है जिसमें वादी 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1/2 हिस्सा है। जो दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

यह कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथपत्र/बयान पेश किए। बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है उसे बटवारा कराने का पूर्ण हक अधिकारी है। एसे में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः गॉव कुंआ तहसील चिखली के खसरा नम्बर 865 का कुल रकबा 2.17 बीघा का वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का रिकार्ड एवं मौके के अनुसार, अच्छी से अच्छी किस्म एवं बुरी से बुरी किस्म एवं अच्छी से अच्छी लोकेशन एवं बुरी से बुरी लोकेशन के आधार पर बटवारा स्किम न्यायालय हाजा में पेश करने तहसीलदार चिखली को आदेशित किया गया था एवं प्राथमिक डिकी जारी की गई थी।

प्रारंभिक डिकी के अनुसरण में तहसीलदार चिखली को पालनार्थ भेजी जाने पर दिनांक 04.03.2022 को पालना रिपोर्अ प्राप्त जो शामिल पत्रावली की गई। मौके पर उपस्थित वादी एवं मौतबिरान के रूबरू मौका देखा गया। जिसका कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। उक्त बंटवारा स्कीम के अनुसरण में आज दिनांक 25.03.2022 को उभय पक्षकारान वकील अनुपस्थित रहे। वादी स्वयं उपस्थित होकर वादी की एक तरफा बहस सुनी गयी। तहसीलदार चिखली से प्राप्त प्रस्ताव न्यायोचित होकर वादी को स्वीकार है।

तहसीलदार चिखली से मौजा कुंआ के जमाबन्दी संवत् 2073—2076 के खाता संख्या 341 कुल खसरा किता 1 खसरा संख्या 865 का कुल रकबा 2.17 बीघा लगान 0.39 की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	लीलादेवी पत्नि हीरालाल मीणा हिस्सा पुर्ण साकिन देह खादेरार				सुखलाल पुत्र कुरीया कलाल हिस्सा पूर्ण साकिन देह खातेदार			
				खसरा नं	रकबा (है0)	किस्म	लगान	खसरा नं	रकबा (है0)	किस्म	लगान
865	0.4611	सुखी द्वि0	0.39	865/1	0.2305	सुखी द्वि0	0.19	865/2	0. 2306	सुखी द्वि0	0.20

उपरोक्त बंटवारा अनुसार मौजा कुंआ के जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 341 कुल खसरा किता 1 खसरा संख्या 865 का कुल रकबा 2.17 बीघा को खातेदारो के मध्य अन्तिम निर्णय पारित कर वाद डिक्री किया जाता है। बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस इस आदेश/निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरेईजलास सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर